रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265884
CG-DL-E-02092025-265884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3892] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 3892] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

का.आ. 3997(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विदेशी रजिस्ट्रीकरण (छूट) आदेश, 1957 तथा आप्रवास (वाहक दायित्व) आदेश, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएं.-

(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "नियम" से आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या नियमों में उन्हें दिए गए हैं।

3. **छूट.** (1) भारत में प्रवेश, प्रवास या बाहर जाने के लिए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य विधिमान्य यात्रा दस्तावेज और विधिमान्य वीज़ा की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा नियमों के नियम 7, नियम 8 और नियम 9 के उपबंध, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-

(क) भारत की नौसेना, सेना या वायुसेना का सदस्य, जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश कर रहा हो या भारत से बाहर जा रहा हो तथा ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य, जो सरकारी परिवहन पर ऐसे व्यक्ति के साथ हों;

(ख) नेपाल या भूटान की सीमा से होकर भूमि या वायु मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करने वाला भारत का नागरिक;

(ग) नेपाल या भूटान का नागरिक,-

(i) नेपाल या भूटान सीमा से भूमि या वायु मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करना; या

(ii) यदि उसके पास, नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य स्थान लेकिन चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान को छोड़कर, भारत में प्रवेश करते या जाते समय विधिमान्य पासपोर्ट है;

(घ) कोई तिब्बती जो पहले ही भारत में प्रवेश कर चुका है और भारत में रह रहा है या भारत में प्रवेश कर रहा है, यदि उसने संबद्ध रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण करवाया है और नियमों के नियम 13 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है,-

(i) यदि उसने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी विशेष प्रवेश परमिट पर 1959 के पश्चात्, किन्तु 30 मई, 2003 से पहले भारत में प्रवेश किया हो;

(ii) यदि उसने, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट भारत-नेपाल सीमा पर स्थित आप्रवास चौकी के माध्यम से काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए नए विशेष प्रवेश परमिट पर 30 मई, 2003 के पश्चात्, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख तक भारत में प्रवेश किया है;

(iii) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट भारत-नेपाल सीमा पर आप्रवास चौकी के माध्यम से काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए नए विशेष प्रवेश परमिट पर अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् भारत में प्रवेश करता है;

(ङ) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित कोई व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के भय के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ था और 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया-

(i) पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों सहित विधिमान्य दस्तावेजों के बिना; या

(ii) विधिमान्य दस्तावेजों के साथ, जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज भी हैं तथा ऐसे दस्तावेजों की विधिमान्यता समाप्त हो गई हो।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध भारत में उनके प्रवास की सीमा तक और भारत से बाहर निकलने के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली है।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, "रजिस्ट्रीकृत" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहीत अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा नियमों के नियम 9 के उपबंध, वीज़ा की आवश्कयता की सीमा तक, निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होंगे-

(क) राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले विदेशी, जहां किसी अंतर-सरकारी करार के अधीन वीज़ा की आवश्कयता को अधित्यजित कर दिया गया है;

(ख) विनिर्दिष्ट देशों से आने वाले विदेशी, जो आगमन पर वीजा प्राप्त करने का आशय रखने के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रवेश के निर्दिष्ट पत्तनों पर ऐसे आगमन पर वीजा प्राप्त करना चाहते हैं; और

(ग) बहुपक्षीय अभ्यास, सद्भावना यात्राओं, जलयानों की बंकरिंग और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता के लिए विदेशी नौसैनिक युद्धपोतों पर भारत आने वाले विदेशी सैन्य कार्मिक, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी अंतर-सरकारी करार द्वारा छूट न दी गई हो या अधिसूचित न किया गया हो।

(4) अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 तथा नियमों के नियम 22, नियम 24 और नियम 25 के उपबंध, भारत में या भारत से रेल या सड़क मार्ग द्वारा यात्रियों और चालक दल का परिवहन करने वाले वाहक को लागू नहीं होंगे।

(5) अधिनियम की धारा 19 के उपबंध निम्न प्रकार के यात्री को लाने वाले वाहक पर लागू नहीं होंगे.-

(क) जाली दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले यात्री, यदि ऐसी कूटरचना का पता दस्तावेज जांच विशेषज्ञों की सहायता के बिना नहीं लगाया जा सकता है;

(ख) छिप कर या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री, जिन्हें वाहक वापस लेने के लिए तैयार है;

(ग) वे यात्री, जो किसी ऐसे वायुयान या पोत से आए हैं, जिन्हें प्रस्थान के समय, विमान वाहक के नियंत्रण से परे के कारणों से भारत की ओर मोड़ दिया गया था;

(घ) उप-पैरा (1), (2) और (3) में यथानिर्दिष्ट पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और विधिमान्य वीज़ा की अपेक्षा से छूट प्राप्त विदेशी;

(ङ) प्रवेश के आप्रवास चौकियों पर अस्थायी लैंडिंग परमिट प्राप्त करने वाले विदेशी।

[फा. सं. 25022/07/2025-एफ.-I]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st September, 2025

S.O. 3997(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), and in supersession of the Registration of Foreigners (Exemption) Order, 1957 and the Immigration (Carriers' Liability) Order, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–(1) In this Order, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025);

(b) "rules" means the Immigration and Foreigners Rules, 2025.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or rules have the meanings respectively assigned to them in the Act or rules.

3. Exemptions**. —**(1) The provisions of sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Act and rules 7, 8 and 9 of the rules with regard to requirement of valid passport or other valid travel document and valid visa for entry into, stay in and exit from India, shall not apply in the following cases, subject to the conditions mentioned therein, namely :-

(a) Member of Naval, Military or Air Forces of India, entering or exiting India on duty and members of the family of any such person when accompanying such person on a Government transport;

(b) a citizen of India entering into India by land or by air over the Nepalese or Bhutanese frontier;

(c) a citizen of Nepal or Bhutan, —

(i) entering into India by land or air over the Nepal or Bhutan border; or

(ii) if he possesses a valid passport while entering or exiting India from or to a place other than Nepal or Bhutan but not from China, Macau, Hong Kong or Pakistan;

(d) a Tibetan who has already entered into India and staying in India or entering into India if he has registered with the Registration Officer concerned and obtained a Certificate of Registration in accordance with rule 13 of the rules, —

(i) if he has entered into India after 1959 but before the 30th May, 2003 on the Special Entry Permit issued by the Embassy of India in Kathmandu;

(ii) if he has entered into India after the 30th May, 2003 till the date of commencement of the Act on the new Special Entry Permit issued by the Embassy of India in Kathmandu through the immigration post on the Indo-Nepal border as designated by the Central Government;

(iii) if he enters into India on or after the commencement of the Act on the new Special Entry Permit issued by the Embassy of India in Kathmandu through the immigration post on the Indo-Nepal border as designated by the Central Government;

(e) a person belonging to a minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian, who were compelled to seek shelter in India due to religious persecution or fear of religious persecution and entered into India on or before the 31st December, 2024 —

(i) without valid documents including passport or other travel documents; or

(ii) with valid documents including passport or other travel documents and the validity of such documents have expired.

(2) The provisions of sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Act to the extent of their stay in India and for the purposes of exiting India shall not apply to registered Sri Lankan Tamil nationals who have taken shelter in India upto the 9th January, 2015.

Explanation. — For the purpose of this sub-paragraph, "registered" means registered with an officer designated for this purpose by the Central Government or the State Government.

(3) The provisions of sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Act and rule 9 of the rules to the extent of requirement of a visa shall not apply in the case of —

(a) foreigners holding diplomatic and official passports where visa requirements are waived under any intergovernmental agreement;

(b) foreigners from specified countries intending to avail visa-on-arrival at the designated ports of entry as per conditions specified for grant of such visa-on-arrival; and

(c) foreign military personnel visiting India on foreign naval warships on multilateral exercises, goodwill visits, bunkering of vessels and assistance during natural calamities, unless exempted or notified by any intergovernmental agreement or by the Central Government.

(4) The provisions of sections 17 and 18 of the Act and rules 22, 24 and 25 of the rules shall not apply to a carrier transporting passengers and crew by rail or road into or from India.

(5) The provisions of section 19 of the Act shall not apply to the carrier carrying —

(a) the passengers travelling on forged documents, if such forgery cannot be detected without the help of document examination experts;

(b) the stow-away passengers whom the carrier is ready to take back;

(c) the passengers who have arrived on an aircraft or ship which, on departure, had been diverted to India for reasons beyond the control of the carrier;

(d) the foreigners exempted from the requirement of passport or other travel document and valid visa as referred to in sub-paragraphs (1), (2) and (3);

(e) the foreigners availing Temporary Landing Permit at the immigration posts of entry

[F. No. 25022/07/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.02 14:27:47 +05'30'